

9528

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No. - FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.4363 hectare of forest land in favour of Department of tourism & civil Aviation HP, for the construction of circular road at Shri Naina Devi Ji.(Kms. 0/00 to 0/900), within the jurisdiction of Wildlife Division Hamirpur and Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, यमुनोद्गढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 0-HPB578/2012 - C11A दिनांक 22-04-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 0.4363 hectare of forest land in favour of Department of tourism & Civil Aviation HP, for the construction of circular road at Shri Naina Devi Ji.(Kms. 0/00 to 0/900), within the jurisdiction of Wildlife Division Hamirpur and Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh, को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. वन से वन की वृद्धि/Saplings कटवाये जायेंगे निम्नलिखित संख्या प्रस्ताव के अनुसार 700 वृद्धि और 650 Saplings से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपुर्ति योजनाएं प्रस्ताव के अनुसार Kot UPP of Village baram में प्रयोज्य प्लॉटों से प्राप्त करके 149.410/-(एक लाख उन्नाई हजार चार सौ वन भागों की संख्या से कुल 1.00 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में बोधे लगावकर किया जाएगा। प्रतिपुर्ति योजनाएं इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. साथ लगत वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिति के लिये सभी सुरक्षा उपाय / पूर्वउपाय दुरुस्तपूरक किये जायेंगे।
5. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
6. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-10/2002 - 17 दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 3-3/2007-47 दिनांक 17 फरवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी।
7. यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / आयात आदेश / अनुज्ञा आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जारी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रशासन पर ही की जाएगी।
8. A lease deed of the forest land shall be executed by the agency with Collector-charge Deputy Commissioner, District Hamirpur.
9. उपरोक्त विभाग में जो धन वसूली जायेगा उसे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।

10. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर-क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्तगत पूर्व में जारी स्वीकृति संख्या 9-HP/BS73/2012- CCA, दिनांक 22-04-2013 में जारी शर्तों शर्तों की पाबली सुनिश्चित की जायेगी।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सम्पूर्ण नहीं होने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग छि 30 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No/FFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)
Copy is forwarded to :-

Dated: Shimla-171001 the, 23-5-13

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24-25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -Enm- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Hamirpur, Distt, Hamirpur Himachal Pradesh.
6. Project Director, IDIPT-HP-HPTDB, Department of Tourism & civil Aviation Shimla HP.
7. CCF Hamirpur/DFO, Wildlife Division Hamirpur, H.P.
8. A Guard File.

Under Secretary (Forests) to the,
Govt. of Himachal Pradesh.

S/FCA
APCCF(FCA) 999
27/5/13 28/5/13